

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
(शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी/आड़ेल)
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

संख्या: 07 / 2021

विषय :-

1. कालूदान पुत्र गुणेशदान वगैरा (7)
निवासी उदाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. हरचन्द वल्द मेहरा वगैरा (42)
43. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1958

उपस्थित:-

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

-:: आदेश ::-

दिनांक :- 27.10.2021

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 केम्प डाबड पेश हुई। हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा मजमेआम जानकारी ली गई। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2074-2077 सरहद मौजा उदाणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 1151/5 रकवा 38-13 बीघा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माटे नहीं होने से वक्त प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों को मौके पर उपस्थित रहने की सूचना विधिवत नोटिस देकर तथा मौके पर उपस्थित करते हुए, दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा उदाणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 1151/5 रकवा 38-13 बीघा भूमि के सम्यन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/- शुल्क पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.10.21 को प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय डाबड में मजमेआम खुले न्यायालय सुनाया

(प्रमोद कुमार)

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
पंचायत समिति गुड़ामालानी, बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
(शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल)

वाद/2021/879

दिनांक : 5/12/21

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

का/25/10

हरमन कोर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु
नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं. 2/21

निर्णय दिनांक :- 27/11/21

—: आदेश :-

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम उ.स.प.को. की कमी के खेत खसरा
नम्बर 1151/5 रकबा 38-13 खसरा नम्बर रकबा खसरा
नम्बर रकबा खसरा नम्बर रकबा एवं
खसरा नम्बर रकबा की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित
करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार गु.स.प.को. को कमी इनर नियुक्त
किया जाता है। कमीशनर फीश रुपये 500/- प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर
उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद
प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
शिविर प्रभारी पंचायत समिति, गुड़ामालानी/आडेल
दिनांक : 5/12/21

क्रमांक: वाद/2021/880-81

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गु.स.प.को.
2. थानाधिकारी गु.स.प.को.
3. हल्का पटवारी गु.स.प.को. को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी
कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी का/25/10
5. विप्रार्थी हरमन कोर

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
शिविर प्रभारी पंचायत समिति, गुड़ामालानी/आडेल